

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निश्चेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट/ Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/ Email : dicgc@rbi.org.in



फ़रवरी 17, 2026

जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना - इंडियन मर्कनटाइल को-ओपरेटीव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश

Deposit Insurance Scheme, 1961 - Cancellation of Registration - Indian Mercantile Co-operative Bank Ltd., Lucknow, Uttar Pradesh

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 13 फ़रवरी 2026 के आदेश CO.DOR.RG.No.S8563/12.28.007/2025-2026 द्वारा इंडियन मर्कनटाइल को-ओपरेटीव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक **13 फ़रवरी 2026** को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है।

The Reserve Bank of India (RBI), vide order CO.DOR.RG.No.S8563/12.28.007/2025-2026 dated February 13, 2026 has cancelled the license of **Indian Mercantile Co-operative Bank Ltd., Lucknow, Uttar Pradesh**. The bank ceases to carry on banking business, with effect from the close of business on **February 13, 2026**.

2. परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 13 फ़रवरी 2026 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from February 13, 2026.

3. कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात् 13 फ़रवरी 2026 को, उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निश्चेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट/ Website: www.dicgc.org.in

ई-मेल/ Email : dicgc@rbi.org.in



बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of Indian Mercantile Co-operative Bank Ltd., Lucknow, Uttar Pradesh an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., February 13, 2026, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

एन. अरुण विष्णु कुमार
निदेशक (ई)

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2025-2026/29